न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

अपील :: 31 / 2021::

जी.सी.एम.एस. नं. :– 2021 / 291

अपीलांट :– बनाम रेस्पोडेन्टगण:–

श्रीमती देवी धर्मपत्नी श्री नाथूरामजी जाति नायक निवासी माधव नगर, कालू कॉलोनी, सुमेरपुर रोड, पाली, तहसील व जिला पाली (राजस्थान)

महेशकुमार पुत्र स्व. श्री नाथूरामजी जाति नायक निवासी सज्जन कॉलेज के पीछे, चौकीदारों का बास, मानपुरा भाखरी, तहसील पाली, जिला पाली (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा 16(1) माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007

उपस्थित :– अपीलाण्ट संख्या 01 श्रीमती देवी धर्मपत्नी स्व. श्री नाथूरामजी
रेस्पोडेंट संख्या 1 महेशकुमार पुत्र स्व. श्री नाथूरामजी

–: आदेश :–

दिनांक :–29.12.2021

अपीलांट श्रीमती देवी पत्नी नाथूरामजी जाति नायक निवासी माधव नगर कालू कॉलोनी सुमेरपुर रोड़ पाली ने यह अपील अन्तर्गत धारा 16(1) माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2002 के विरूद्ध आदेश उपखण्ड मजिस्ट्रेट पाली के प्रकरण संख्या 4 / 2021 बअनवान देवी बनाम महेशकुमार में पारित आदेश दिनांक 20.9.2021 के विरूद्ध पेश की है अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को तलब किया गया एंव उपखण्ड मजिस्ट्रेट पाली की पत्रावली तलब की गई।

अपीलांट देवी पत्नी स्व. नाथूराम एवं रेस्पोडेंट महेश पुत्र स्व. नाथुराम जातिगण नायक निवासी पाली को रूबरू सुना गया।

अपीलांट देवी ने वक्त सुनवाई निवेदन किया कि अपीलांट वृद्ध महिला है उसका पति विद्युत विभाग में नौकरी करता था जिनकी मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र महेश कुमार को उसके स्थान पर नौकरी पर लगवाया अपीलांट के दो पुत्रियां व दो पुत्र है एक पुत्री एवं रेस्पोडेंट की शादी स्व. नाथूराम के जिवित रहते ही कर दी थी एक पुत्री व एक पुत्र की शादी होनी थी। महेश कुमार की दो शादियां हुई। श्रीमती देवी ने यह भी निवेदन किया कि उसके पास जो धनराशि थी वह उसकी एक पुत्री व महेश की शादियां करने में खर्च हो गई वर्तमान में उसका एक पुत्र जो महेश से छोटा है उसका नाम प्रेमप्रकाश है उसकी शादी करनी है रेस्पोडेंट को मृतक की जगह नौकरी पर लगाने पर महेश कुमार मृतक के परिवार की जिसमें अपीलांट व प्रेमप्रकाश तथा दोनों बहनों के भविष्य में खर्च की जिम्मेदारी लेने पर ही नौकरी उसे दिलवाई थी वर्तमान में अपीलांट को पेंशन मिलती है जिससे उसका घरेलु व्यय चिकित्सा व्यय वगैरा चल सकता है अन्य जिम्मेदारी वह नहीं उठा सकती है जब कभी–भी महेश कुमार को खर्च व प्रेमप्रकाश की शादी के बारे में बात करती है तो रेस्पोडेंट महेश की पत्नी मना करती है तथा महेश कुमार भी मना कर देता है महेश कुमार अलग रहता है तथा प्रेमप्रकाश अपीलांट के साथ रहता है उसकी शादी करनी है तथा शादी का व्यय वह अकेले वहन नहीं कर सकती है अतः महेश कुमार द्वारा नौकरी के वक्त कहे [illegible] प्रेमप्रकाश [illegible] का आधा व्यय दिलवाया जावे। रेस्पोडेंट एवं रेस्पोडेंट की पत्नी को [illegible] हार नहीं करे जब उसकी आवश्यकता हो उसकी सेवा वगैरा [illegible] उपखण्ड मजिस्ट्रेट ने पेंशन मिलने के आधार पर जो भरण पोषण [illegible] पत्र खारिज कर [illegible] उक्त आदेश को निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:44:04 IST
Reason: SelfAttested

रेस्पोडेंट महेश कुमार ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान बताया कि उसके पिता विद्युत वितरण निगम जोधपुर डिस्कॉम के लाईनमैन के पद पर नियुक्त थे उनकी मृत्यु 17.6.2011 को हो गई थी रेस्पोडेंट पढा लिखा होने के कारण पिता स्व.

जिला मजिस्ट्रेट, पाली

नाथूराम जी के स्थान पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति सन् 2012 में की गई। पीछे परिवार में दो पुत्र, जायन्दा पत्नी दो पुत्रियों की शादियां के बाद शेष सदस्य रहे। उसके पिता की मृत्युपरान्त रेस्पोडेंट की माता श्रीमती देवी को पेंशन मिलती है जो अपीलांट के पास ही रहती है स्व. नाथुरामजी की मृत्यु के बाद सभी उत्तराधिकारियों की सहमति से रेस्पोडेंट को अनुकम्पा नौकरी दी गई थी तथा महेश कुमार ने अपने परिवार का खर्चा उठाया है तथा बहन की शादी की। प्रेमप्रकाश अपीलांट श्रीमती देवी के साथ रह रहा है रेस्पोडेंट ने ऋण लेकर मकान बनवाया जिसकी किस्त 5,875 रूपये बैंक में भर रहा है तथा पर्सनल ऋण लेकर मकान बनाया जिसकी किस्त 2021 रूपये भर रहा है तथा परिवार व उसके भाई प्रेमप्रकाश का भरण पोषण भी कर रहा है प्रेमप्रकाश शराबी व अपराधी प्रवृति का है जिसे माता अपीलांट सहयोग कर रही है उसने मेरी पत्नी (महेश की) से शराब पी कर मारपीट की इसलिए 5, 6 माह पूर्व से यह पुश्तैनी मकान कालु कॉलोनी मे रह रहे है रेस्पोडेंट अपनी माता देवी के साथ रहने के तैयार है तथा सेवा करने को भी तैयार है। अपीलांट स्वयं ही उसके साथ नहीं रहना चाहती है। अपीलांट ने विद्युत विभाग में कनेक्शन नहीं देने की शिकायत भी की है प्रेमप्रकाश पानी के केम्पर सप्लाई का कार्य करता है उसकी आय 15000/—रूपये (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) मासिक है फिर भी शादी के लिए पैसे मांग रहे है वह मकान व अन्य ऋण वेतन से अदा कर रहा है शेष वेतन से मेरा घर खर्च चलता है। उपरोक्त तथ्यों के बावजूद रेस्पोडेंट अपनी मां को साथ रख कर सेवा करना चाहता है वह स्वयं ही उसके भाई के साथ पुराने मकान में रह रही है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट निरस्त फरमावे।

अपीलांट एवं रेस्पोडेंट को रूबरू व्यक्तिगत सुना गया एवं मातहत अदालत की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। मातहत अदालत के निर्णय में सम्पूर्ण ध्यान भरण पोषण के पहलू पर ही केन्द्रित करते हुए दिया गया। अन्य अपीलांट की सुरक्षा एवं परिवार के व्यय के पहलु पर विचारण नहीं दिया गया। प्रार्थीया के पति स्व. नाथुराम नायक जो रेस्पोडेंट का पिता भी है विद्युत विभाग में नौकरी पर थे तथा उसके मृत्युपर्यन्त अनुकम्पा नौकरी रेस्पोडेंट को मिली तब उसने दूसरे भाई व बहन की शादियां का खर्चा वहन करने को कहा था तभी पारिवारिक सहमति से नौकरी दी गई थी। अब प्रार्थी मुकर रहा है इस सम्पूर्ण पहलु पर विचारण नहीं किया तथा निर्णय पारित कर दिया जबकि अपीलांट छोटे वाले पुत्र की शादी के लिए आधा खर्चा रेस्पोडेंट से चाहती है। साथ ही महेश कुमार की पत्नी ने अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट की दो बार शादियां करने बाबत लिए ऋण की राशि बाबत बात करने पर उसकी पत्नी ने गाली गलौज कर धक्का मुक्की कर घर से निकाल दिया जो अपीलांट की सुरक्षा को प्रभावित करता है रेस्पोडेंट की पत्नी के इस व्यवहार पर भी मातहत अदालत द्वारा विचारण किया जाना आवश्यक था। जो नहीं किया गया है । इस प्रकार रेस्पोडेंट द्वारा अपने समस्त पारिवारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के बिन्दु पर भी विवेचन नहीं किया गया है न ही अपीलांट की सुरक्षा व कल्याण के बिन्दु पर विवेचन किया गया है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट पाली के प्रकरण संख्या 4/2021 में श्रीमती देवी बनाम महेश कुमार में पारित निर्णय दिनांक 20.9.2021 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण पुनः प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं पर बाद विवेचन नियमानुसार निर्णय पारित किया जावे।

आदेश आज दिनांक 29.12.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2022.01.30 09:44:04 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला मजिस्ट्रेट, पाली

जिला मजिस्ट्रेट, पाली